जीएसटी डेटा के आधार पर जीडीपी आकलन जल्द!

पृष्ठ 1 का शेष...

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं कि जीएसटी डेटा, कंपनियों की बैलेंस शीट के डेटा का स्थान ले सकता है। फिलहाल कंपनी मामलों के मंत्रालय से हासिल इस डेटा का इस्तेमाल जीडीपी के आकलन के स्रोत के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा, 'कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का जीडीपी में इस्तेमाल किए जाने में कुछ जाहिर दिक्कतें हैं। जीएसटी के जरिये लेनदेन के वॉल्यूम और आउटपुट डेटा के मूल्य का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है।'

2011-12 की जीडीपी सिरीज में कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का इस्तेमाल शुरू होने के बाद एमओएसपीआई को विशेषज्ञों की आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि सांख्यिकी विभाग इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा सेट को उजागर नहीं करता था।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि जीएसटी का इस्तेमाल करके कंपनियों और व्यक्तिगत आय की जानकारी जुटाना एक स्वागतयोग्य कदम होगा। उन्होंने कहा, 'मासिक जीएसटी डेटा कंपनियों के तिमाही नतीजो की तुलना में बेहतर संकेतक है। कंपनियों के तिमाही आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि अधिकांश कंपनियां समयबद्ध तरीके से नतीजे नहीं जारी करतीं।'

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन पी सी मोहानन का भी यही मानना है कि मासिक जीएसटी डेटा की मदद से जीडीपी का आकलन करना स्वागतयोग्य है।

SBI

सूचना सुरक्षा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी-सेन्टर, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

संदर्भ: SBI/GITC/ISD/2024-25/ISO/18(RFP-1255) दिनांकित: 09.09.2024

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक वर्ष-प्रोजेक्ट-।।-अगस्त 2024 की अवधि के लिए बैंक वातावरण में काम करने के लिए एप्लिकेशन प्रबंधित सेवाओं पर सक्षम इकतालीस (41) संसाधनों को संलग्न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए, कृपया **https://bank.sbi** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज और ई निविदा पोर्टल **(https://etender.sbi/SBI)** पर देखा जा सकता है.

आरएफपी के डाउनलोड का आरंभ : 10.09.2024 को 18:00 बजे से

बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 30.09.2024 को 14:00 बजे तक

स्थान: नवी मुंबई **उप महाप्रबंधक (साइबर सुरक्षा)**

दिनांक: 14.09.2024 **सूचना सुरक्षा विभाग**

द इंडियन परफार्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड

CIN: U92140MH1969GAP014359

पंजीकृत कार्यालय : 208, गोल्डन चैम्बर्स, न्यू अंधेरी लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई-400 053 **Telephone No.:** 6972 9999/4606 7653

Website: www.iprs.org Email: responseagm@iprs.org

54वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना का परिशिष्ट

द इंडियन परफार्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड ("कंपनी") ने वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी की 54वी वार्षिक साधारण बैठक (54वीं एजीएम) **मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11.00 भा.मा.स.** पर आयोजित किए जाने के लिए सूचना जारी की थी। 54वीं एजीएम की सूचना कंपनीज अधिनियम, 2013 व उसके तहत संबंधित नियमों के साथ पठित व निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में **29 अगस्त, 2024** को कंपनी के सदस्यों को इलैक्ट्रानिक मोड द्वारा भेजी थी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित अनुसार 54वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद, कंपनी ने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक ऑथर कम्पॉजर सदस्य से नामांकन प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने ऑर्थर कम्पॉजर निदेशक के रूप में चुनाव में अपनी पात्रता का प्रस्ताव किया है। 54वीं एजीएम की सूचना के लिए परिशिष्ट में, एक प्रस्ताव उक्त वर्णित अनुसार ऑर्थर कम्पॉजर सदस्य से प्राप्त नामांकन के आधार पर ऑर्थर कम्पॉजर निदेशक के चुनाव के लिए मद नं. 15 के तहत समामेलित किया गया है। इसके अलावा, सूचना के लिए परिशिष्ट में, प्रतिस्थापन में ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के न्यू सेट को अपनाने और मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पूर्ण हटाकर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के संबंध में 54वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना के मद नं. 14 के लिए व्याख्यात्मक विवरण का संशोधन भी शामिल है। 54वीं एजीएम की सूचना के लिए परिशिष्ट दिनांक 12 सितंबर, 2024 को ई-मेल द्वारा कंपनी के सदस्यों को भेजा जा चुका है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक नियमावली), 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने 54वीं एजीएम दिनांक 27 अगस्त, 2024 की मूल सूचना में प्रस्तावित अनुसार प्रस्तावों और 54वीं एजीएम दिनांक 12 सितंबर, 2024 की सूचना में परिशिष्ट के संबंध में अपने सदस्यों को 54वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के साथ-साथ 54वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया है।

54वीं एजीएम की सूचना में परिशिष्ट कंपनी की वेबसाइट www.iprs.org और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर भी उपलब्ध है। **बोर्ड के आदेशानुसार**

कृते द इंडियन परफार्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड

हस्ता./-

जावेद अख्तर

अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 सितंबर, 2024 **डीआईएन : 00112984**

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: "एक्सचेंज प्लाजा", सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत

सार्वजनिक सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २००९ के विनियम २२(६) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना.

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २००९ के विनियम २२(६) (''असूचीबद्धता विनियम''), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, १९५७ के नियम २१(२)(बी) (''एक्सचेंज'') के अनुसार १० मई, २०२४ से असूचीबद्ध कर दिया गया है, क्योंकि इसे बीएसई लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है।

असूचीबद्ध की गई कंपनी (बीएसई द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई) और उसके प्रवर्तकों का विवरण, एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उनके पते और प्रवर्तकों द्वारा सार्वजनिक शेयरधारकों को देय उचित मूल्य नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (रु. प्रति शेयर)	कंपनी के प्रवर्तकों/ प्रवर्तकों के समूह का नाम	कंपनी के प्रवर्तकों/प्रवर्तकों के समूह का पता
गैमन इंडिया लिमिटेड** कार्यालय संख्या: मंजिल ३, प्लॉट नंबर ३/८, हैमिल्टन हाउस, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -४०००३८।	0/-	जगदीश राजन	-
		अभिजीत राजन	ऋतुराज गोदरेज बंगले के पास, मिलिट्री रोड जुहू महाराष्ट्र - ४०००४९। और ३०२ कैपरी ग्रीनफील्ड्स एस्टेट, ए बी नायर रोड, जुहू, मुंबई - ४०००४९।
		पैसिफिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	६१ गंगाधर निवास, गोखले रोड, उत्तर दादर पश्चिम मुंबई- ४०००२८, महाराष्ट्र, भारत। और ३०१ कैपरी ग्रीनफील्ड्स एस्टेट, ए बी नायर रोड, जुहू, मुंबई - ४०००४९, महाराष्ट्र भारत।
		देवयानी एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	३०१ कैपरी ग्रीनफील्ड्स एस्टेट, ए बी नायर रोड, जुहू, मुंबई - ४०००४९, महाराष्ट्र भारत।
		निखिता एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	३०१ कैपरी ग्रीनफील्ड्स एस्टेट, ए बी नायर रोड, जुहू, मुंबई - ४०००४९, महाराष्ट्र भारत।
		एलोरा ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	३०१, कैपरी, ग्रीन फील्ड्स एस्टेट्स, ए.बी. नायर रोड, जुहू, मुंबई सिटी महाराष्ट्र ४०००४९ भारत।
		मासायोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-

*पता एमसीए/एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध है।

**कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २००९ के अनुसार असूचीबद्ध किया गया है।

नोट्स:

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २००९ के अनुसार, अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना बंद कर दिया गया है और इसलिए एक्सचेंज के मंच पर व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

बी. असूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तकों को एक्सचेंज द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयर खरीदने होंगे।

सी. इसके अलावा, सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २००९ के विनियम २४(१) के अनुसार, असूचीबद्ध की गई कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, उसके प्रवर्तक और उनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित कंपनियां अनिवार्य असूचीबद्धता की तारीख से १० वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंच नहीं बनाएंगी या किसी भी इक्विटी शेयर के लिए सूचीबद्धता की मांग नहीं करेंगी।

डी. सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता), विनियम, २००९ के विनियम २४(२) के प्रावधानों के अनुसार, उन कंपनियों के मामले में जिनका उचित मूल्य धनात्मक है-

- ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक विनियम २३ के उप-विनियम (३) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;
- अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक और पूर्णकालिक निदेशक भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि ऊपर खंड (ए) में उल्लिखित निकास विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

ई. यह ध्यान देने योग्य बात है कि सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का अवसर देने और उचित मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व कंपनी के प्रवर्तकों पर है। यदि प्रवर्तकों द्वारा बाहर निकलने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो ऐसे निकायों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

एफ. इसके अलावा इस कंपनी को एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में डाल दिया गया है

कोई भी प्रश्न असूचीबद्धता समिति को संबोधित किया जा सकता है, असूचीबद्धता समिति, सूचीबद्धता विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in **के साथ प्रतिलिपि** dl-insp-enf-delisting@nse.co.in **पर अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपरोक्त निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम अभ्यावेदन को वैध नहीं माना जाएगा।**

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से ऊपरोक्त ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

स्थान: मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया**

दिनांक: १४ सितंबर, २०२४ **लिमिटेड की ओर से**

Nifty50

सरकारी बॉन्ड यील्ड गिरी

अंजलि कुमारी
मुंबई, 13 सितंबर

फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज घटाए जाने की संभावना का असर यील्ड पर

- **बेंचमार्क 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.79 प्रतिशत रही, जो 30 मार्च, 2022 के बाद का निचला स्तर**
- **बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों की मजबूत मांग के बीच सबसे लंबी अवधि के 50 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड पहली बार गिरकर 7 प्रतिशत से नीचे**
- **बाजार के हिस्सेदारों ने कहा कि निकट भविष्य में बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड का कारोबार 6.75 से 6.80 प्रतिशत के बीच होने की संभावना**
- **पिछले 2 सप्ताह से ट्रेजरी बिल की नीलामी नहीं हो रही है। इसकी वजह से अल्पावधि बॉन्डों में तेजी आई**

अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दर में उल्लेखनीय कटौती की उम्मीद बढ़ने के कारण शुक्रवार को सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। अमेरिका की दर तय करने वाली समिति द्वारा दर में 50 आधार अंक की कटौती किए जाने की उम्मीद की जा रही है। सीएमई फेड वाच टूल के मुताबिक शुक्रवार को फेड द्वारा कटौती की संभावना बढ़कर 43 प्रतिशत हो गई, जो इसके पहले 14 प्रतिशत थी।

बेंचमार्क 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.79 प्रतिशत रहा, जो 30 मार्च, 2022 के बाद का निचला स्तर है। गुरुवार को यह 6.81 प्रतिशत थी।

दिन के दौरान बेंचमार्क यील्ड गिरकर 6.78 प्रतिशत पर आ गया। डीलरों ने कहा कि इसे दिन के आखिर में कुछ सहारा मिला जब कुछ ट्रेडर्स ने सप्ताहांत के पहले पोजिशन ली।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के वाइस प्रेसीडेंट नवीन सिंह ने कहा, 'बाजार अब देख रहा है कि कटौती होने वाली है। यह 25 आधार अंक या 50 आधार अंक हो सकती है। इससे अक्टूबर की नीतिगत बैठक में रिजर्व बैंक पर कम से कम रुख बदलने का दबाव होगा। इसकी वजह से बाजार में यह सुस्ती नजर आ रही है।'

डीलरों ने बताया कि बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों की मजबूत मांग के बीच सबसे लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड, 50 साल की बॉन्ड का यील्ड पहली बार गिरकर 7 प्रतिशत से नीचे आ गई। सरकारी बॉन्डों का कुल मिलाकर यील्ड 7 प्रतिशत के महत्त्वपूर्ण स्तर से नीचे रही है।

एक सरकारी बैंक से जुड़े डीलर ने कहा, 'बाजार इस समय 50 आधार अंक की ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से आगे जा रहा है।' उन्होंने कहा, 'नीतिगत दर को लेकर दीर्घावधि बॉन्ड सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से वहां हलचल थी। वहीं बीमा और पेंशन फंडों की ओर से दीर्घावधि फंडों की मांग थी।'

बाजार से जुड़े हिस्सेदारों ने कहा कि अनुकूल मांग आपूर्ति की गणित के कारण बहुत लंबी अवधि की सरकार की प्रतिभूतियों की मांग जारी रहेगी।

सितंबर माह के लिए ट्रेजरी बिलों की आपूर्ति में कटौती को देखते हुए भी धारणा सकारात्मक थी। बहरहाल कम अवधि के बॉन्डों में लाभ सीमित था, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि महंगाई दर में मामूली कमी आई है, इसके बावजूद घरेलू दर तय करने वाली समिति दृढ़ रहेगी, अभी दर में कटौती करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। रिजर्व बैंक ने चालू महीने में ट्रेजरी बिल की दो नीलामियां रद्द कर दी थीं।

सरकारी बैंक के एक और डीलर ने कहा, 'पिछले 2 सप्ताह से ट्रेजरी बिल की नीलामी नहीं हो रही है। इसकी वजह से अल्पावधि बॉन्डों में तेजी आई है। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान के कारण कुछ सीमाएं तय हुई हैं।'

बाजार के हिस्सेदारों ने कहा कि निकट भविष्य में बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड का कारोबार 6.75 से 6.80 प्रतिशत के बीच होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बेंचमार्क यील्ड 29 आधार अंक गिरा है, जबकि चालू कैलेंडर साल में यह 38 आधार अंक कमजोर हुआ है।

बासमती व प्याज का एमईपी हटा, गेहूं के स्टॉक पर सख्ती

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 सितंबर

महत्त्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने प्याज और बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटा दिया है। वहीं गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा सख्त कर दी गई है।

बासमती चावल पर पहली बार न्यूनतम निर्यात मूल्य पिछले साल 1,200 डॉलर प्रति टन तय किया गया था, उसके बाद इसे 950 डॉलर प्रति टन किया गया। बहरहाल हरियाणा और पंजाब के प्रमुख उत्पादक बाजारों में बासमती चावल की कीमत 1000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कम हुई है, जिसे देखते हुए किसान विदेश में बिक्री बढ़ाने के लिए निर्यात की सीमा हटाए जाने की मांग कर रहे थे।

हरियाणा में अगले कुछ सप्ताहों में चुनाव होने जा रहे हैं, जो बासमती का बड़ा उत्पादक है।

प्याज के मामले में न्यूनतम निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन तय किया गया था।

ज्यादातर घरेलू बाजारों में प्याज की कीमत स्थिर हो गई है। महाराष्ट्र के किसान प्याज उत्पादन करते हैं, जहां इसका उत्पादन होता है। वहां के किसान न्यूनतम निर्यात मूल्य की सीमा हटाए जाने की मांग कर रहे थे।

कुछ खबरों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर प्याज की कमी है और एमईपी हटाए जाने से किसानों को बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी।

कुछ खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति का 2024 के आम चुनाव में प्रदर्शन खराब होने की एक वजह प्याज की कीमतों में गिरावट भी थी।

वहीं एक और फैसले के तहत केंद्र सरकार ने ट्रेडर्स और मिलर्स की गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा को और सख्त कर दिया है। इसका मकसद अनाज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण है।

ताजा आदेश के मुताबिक कारोबारी अब सिर्फ 2,000 टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि पहले 3,000 टन रख सकते थे।

सरकार ने गेहूं प्रसंस्करणकर्ताओं के भंडारण पर भी सख्ती की है। प्रसंस्करणकर्ता अब वित्त वर्ष के शेष महीनों में अपनी मासिक क्षमता का 60 प्रतिशत गेहूं रख सकते हैं, जो अब तक 70 प्रतिशत था। प्रसंस्करणकर्ताओं में बिस्कुट व ब्रेड बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं।

पिछले कुछ सप्ताह में त्योहारी मांग के कारण गेहूं की घरेलू कीमतें बढ़कर करीब 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई हैं। उद्योग के एक वर्ग का कहना है कि हाल के वर्षों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को देखते हुए गेहूं का मौजूदा दाम ज्यादा नहीं हैं।

एसबीआई का लागत-आय अनुपात दो साल में घटेगा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 13 सितंबर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का वित्त वर्ष 24 लागत और आय (सी/आई) अनुपात उछलकर 60 प्रतिशत हो गया था। सी/आई अगले दो वर्षों में 54-55 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर आने की उम्मीद है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में मार्च 2024 (वित्त वर्ष 24) की समाप्ति पर सी/आई अनुपात में तेजी से उछाल आया था।

एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कर्मचारियों पर खर्च बढ़ने के कारण सी/आई अनुपात में उछाल आया। वित्त वर्ष 23 में सी/आई अनुपात 56.2 प्रतिशत था। रेटिंग एजेंसी के अनुसार बैंक के डिजिटल प्लेटफार्म पर संभावनाएं तलाशने के कारण अगले तीन वर्षों में संचालन क्षमता में क्रमश सुधार होना है। यह जानकारी एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है। एसऐंडपी ने पुष्टि की है कि एसबीआई की क्रेडिट रेटिंग 'बीबीबी/पॉजिटिव' पर कायम रही है।

ग्रामीण आवास की पहली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 सितंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में देश के 3 स्थानों पर ग्रामीण आवास योजना के तहत नए आवंटियों को पहली किस्त जारी करेंगे और उन्हें स्वीकृति पत्र सौंपेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) के उन लाभार्थियों की पहली किस्त जारी होगी, जिन्हें नए 2 करोड़ मकानों के लिए चिह्नित किया गया है। मोदी सरकार ने इसे अगले 5 साल में बनाने का वादा किया है।

ये मकान पिछले 10 साल में पहले ही देश भर में बनाए जा चुके 2.6 करोड़ मकानों के अतिरिक्त होंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर को होने वाले वाले कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में 15 सितंबर को होगी, जहां मोदी 20,000 लाभार्थियों को नए मकानों के लिए स्वीकृति पत्र सौंपेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संवाददाताओं से कहा, 'झारखंड में 1,13,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वहां राज्य सरकार कुछ ही मकान बनवा सकी।'

उन्होंने कहा कि उसके बाद प्रधानमंत्री 16 सितंबर को गुजरात जाएंगे, जहां पहले 31,000 लाभार्थियों को 93 करोड़ रुपये वितरित करेंगे। वह पूरे हो चुके 35,000 ग्रामीण मकानों के गृह प्रवेश में हिस्सा लेंगे। पिछले 10 साल में गुजरात में करीब 6,50,000 ग्रामीण आवास बनाए गए हैं।

इस साल राज्य में 54,135 मकान देने का लक्ष्य रखा गया है।

आखिर में प्रधानमंत्री 17 सितंबर को भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वह मंजूरी पत्र सौंपेंगे और 10 लाख नए लाभार्थियों को 3,180 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे।

लखनऊ में बनाया जाएगा बीज पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लखनऊ में 200 एकड़ में एक अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करेगी। साथ ही राज्य में 150 कृषि फार्मों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बीजों पर अनुसंधान के लिए देने की योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को उच्च उत्पादन वाले बीज की किस्में मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है।

नई नीति से ई-बस अभियान को मिलने वाली है रफ्तार

नितिन कुमार
नई दिल्ली, 13 सितंबर

देश का सार्वजनिक परिवहन, हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। 10,900 करोड़ रुपये की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) और 3,435.33 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) योजना शुरू किए जाने के साथ उद्योग की उम्मीदें बढ़ी हैं कि इससे इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा।

सड़क परिवहनऔर राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक भारत में 1 जनवरी, 2019 और 13 सितंबर, 2024 के बीच कुल 3,73,810 बसें बिकीं, जिनमें सिर्फ 2.4 प्रतिशत यानी 9,108 बसें ही इलेक्ट्रिक बसें थीं। 7,210 ई बसें खरीदने के लिए 3,545 करोड़ रुपये के आवंटन (फेम-2 के 11,500 करोड़ रुपये बजट का 30 प्रतिशत) और 10,000 ई-बसों से सिटी बस सेवा के परिचालन को गति देने के लिए 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ईबस सेवा शुरू किए जाने के बावजूद इनकी स्वीकार्यता सुस्त रही है।

नई पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत 14,028 बसें खरीदने के लिए आवंटन बजट का 40 प्रतिशत यानी 4,391 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। उद्योग से जुड़े लोगों को भरोसा है कि इस बढ़े आवंटन से ई-बस की स्वीकार्यता को आवश्यक गति मिलेगी।

पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी की सीईओ आंचल जैन ने कहा, 'इस नीति से प्रमुख उम्मीदें पूरी हुई हैं। चार्जरों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने और पीएसएम पेश किए जाने से इसके हिस्सेदारों का भरोसा बढ़ेगा।'

भारत में बसों की बिक्री की स्थिति

वर्ष	कुल बिकी बसें	बिकी ई बसें	ई बस का %
2024	80,113	2,674	3.3
2023	82,875	2,676	3.2
2022	47,507	1,988	4.2
2021	19,165	1,176	6.1
2020	45,852	88	0.2
2019	98,298	506	0.5
कुल	373,810	9,108	2.4

पीएम ई-ड्राइव के तहत सरकार ने 1,800 फास्ट चार्जर्स लगाने के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएसएम योजना से सार्वजनिक परिवहन अधिकारियों (पीटीए) को वित्त वत्त 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के बीच 38,000 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद व परिचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निशांत आर्य ने कहा, 'मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को बहुप्रतीक्षित प्रोत्साहन मिलने से हाशिये पर पड़े ई-बस सेक्टर को स्थापित होने में मदद मिलेगी और इससे उल्लेखनीय रूप से वैश्विक निवेशक आकर्षित होंगे।'

अब तक ई-बस ओईएम टेंडरों में हिस्सा लेने से हिचकती रही हैं क्योंकि ज्यादातर पीटीए घाटे में परिचालन कर रही हैं और इससे बस का आवंटन अव्यावहारिक हो जाता है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि टेंडरिंग में देरी भी ई-बस की स्वीकार्यता की राह में बड़ा व्यवधान रहा है।

एनआरआई कंसल्टिंग ऐंड सॉल्यूसंस में सीएएसई के विशेषज्ञ प्रीतेश सिंह ने कहा, 'पीटीए की खराब वित्तीय स्थिति ओईएम को नीलामी में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करती है। इसके अलावा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा टेंडरिंग में देरी की वजह से भी ई-बसों की स्वीकार्यता की रफ्तार कम रही है।'

सीईएसएल ने 3,825 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहली निविदा 17 नवंबर, 2023 को जारी की गई। उसके बाद 14 मार्च, 2024 को 3,132 ईबसों की दूसरी निविदा जारी हुई। बहरहाल पहले दौर के टेंडर अभी दिए जाने हैं।

एक ई-बस विनिर्माता ने कहा कि सीईएसएल ने बोली की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इसे आवंटित किया जाना अभी बाकी है।

एक ई-बस विनिर्माता ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर कहा, 'निविदा की तिथि बीत चुकी है, लेकिन हिस्सेदारों को अभी ठेका नहीं दिया गया है। निविदा के तहत नीलामी की 3,825 बसों में 1,400 से कुछ अधिक आवंटित की गई हैं।'

पहले टेंडर की मौजूदा स्थिति को लेकर सीईएसएल को भेजे गए पत्र का जवाब अखबार छपने तक नहीं मिल पाया।

राष्ट्रीय राजमार्गों से ही जीपीएस आंकड़े

ध्रुवाक्ष साहा
नई दिल्ली, 13 सितंबर

जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में निजता हनन की चिंताओं के बीच राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने स्पष्ट किया कि डेटा संग्रहण केवल राष्ट्रीय राजमार्गों तक ही सीमित रहेगा। इस प्रणाली को ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) टोल कलेक्शन के रूप में भी जाना जाता है।

टोल संग्रह की यह प्रणाली लागू होने के बाद टोल बूथ खत्म हो जाएंगे। इस प्रणाली के तहत हर वाहन पर ऑन बोर्ड यूनिट (ओबीयू) को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा और उसी के जरिये टोल शुल्क कट जाएगा। जैन ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हम डेटा की निजता को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपका वाहन जब राजमार्ग पर प्रवेश करेगा तो सिग्नल पर नजर रखी जाएगी। आपका वाहन जैसे ही राजमार्ग को छोड़ेंगे तो सिग्नल पर नजर रखना अपने से खत्म हो जाएगा।' इस प्रणाली को लेकर चिंताएं यह हैं कि इस लेन देन में शामिल साझेदार जैसे ओबीयू विनिर्माता, बैंक और बीमाकर्ता सिर्फ वाहन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहने के दौरान ही नहीं बल्कि हर समय रियल टाइम लोकेशन के आंकड़ों को हासिल कर सकते हैं।

इस पर जैन ने बताया, 'हमारे साथ हुए समझौते के तहत उन पर बाध्यताएं हैं (वे सभी समय नजर नहीं रख सकते)।' सचिव ने बताया, 'आज भी हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, क्योंकि वाहन टोल गेट से गुजरते हैं। बस यह एक गोपनीय और समेकित फॉर्म में होता है।' उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों में वाहन मालिक एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म से अपने वाहन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

बीएस सूडोकू 5077

	5	7		4				
				5	6			1
			3					
	4					7		
8				3	5			
	3	1	6			4	9	
				7			8	6
		8				2		
		6		2	8			

परिणाम संख्या 5076

3	2	1	4	8	9	6	5	7
5	9	4	2	7	6	1	3	8
7	8	6	5	1	3	4	2	9
2	5	9	6	3	8	7	1	4
6	1	3	9	4	7	2	8	5
4	7	8	1	2	5	3	9	6
8	4	7	3	5	1	9	6	2
9	3	2	8	6	4	5	7	1
1	6	5	7	9	2	8	4	3

कैसे खेलें ?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।